(255)

न्यायालय श्री मान अध्यक्ष महोदय , राजस्व मण्डल ग्वालियर

लिंक कोर्ट रीवा संभाग रीवा म0प्र0

464
12.8.13

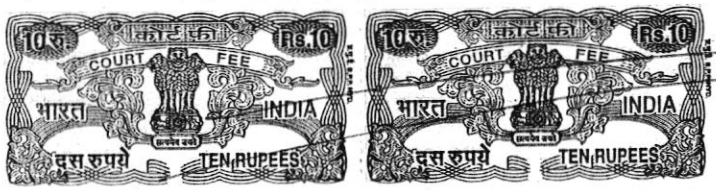

10 रु. कोर्ट फी Rs.10 COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES
10 रु. कोर्ट फी Rs.10 COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

Rs. 20/-

बाल्मीक प्रसाद तिवारी पिता सहदेव तिवारी उम्र 80 साल पेशा कृषि ,

निवासी ग्राम ब्यौहारी तह0 ब्यौहारी जिला शहडोल म0प्र0 -- निगरानी कर्ता

R-4339-पीबीआर/13

बनाम

म0प्र0 राज्य द्वारा जिलाध्यक्ष महोदय ~~रीवा~~ जिला शहडोल म0प्र0 --
-------- गैर निगरानी कर्ता

अधिवक्ता श्री सुरेश प्रसाद पाण्डेय द्वारा प्रस्तुत रीवा दि. 12.8.13

क्लर्क आफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी विरुद्ध आदेश दि0- 3-1-013, प्र0 क्र0-141/अ-74/011-012, न्यायालय तहसीलदार तह0 ब्यौहारी जिला शहडोल (म0प्र0)

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू रा0 सं0 1959 ई0,

मान्यवर,

संक्षेप मे प्रकरण इस प्रकार है :-

23-11-13

यह कि आ0 नं0- 581 रकबा 29-50 ए0 स्थित ग्राम पपरेड़ी तह0 ब्यौहारी ,पट0 हल्का देवरी जिला शहडोल मे स्थित है । उक्त भूमि के अंश रकबा 5-00ए0 वर्ष 1954-55 से उक्त भूमि पर काबिज दखील होकर काश्त करते थे, तथा उक्त भूमि म0प्र0 शासन दर्ज थी, किन्तु निगरानी कर्ता अति गरीब व्यक्ति होने के कारण तथा भूमि हीन होने के कारण उक्त वर्णित भूमि शासन के जन कल्याण कारी योजना के आधार पर आवेदक के नाम व्यवस्थापन राजस्व प्रकरण क्र0- 991 ए/19(4)/80-81, तारीख आदेश दि0 - 30-5-81, हुक्म नायब तहसीलदार तह0 ब्यौहारी के 20-8-87 के द्वारा दर्ज प्रकरण मे आवेदक के नाम व्यवस्थापन (एलाटमेन्ट) किया गया तथा इत्तलायाबी का आदेश भी नायब तहसीलदार के आदेश के तहत 20-8-87 को पट0 हल्का द्वारा इत्तला दर्ज की गयी तथा भूमि अभिलेख एवं ऋण पुस्तिका तत्कालीन तहसीलदार द्वारा निगरानी कर्ता को प्रदान की गयी, तथा निगरानी कर्ता द्वारा उक्त भूमि का सीमांकन

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

जिला–शहडोल

मामला क्र0–R.4339–III / 13

बाल्मीक प्रसाद तिवारी / शासन म0प्र0

(1)	(2)	(3)
23.08.17	1. प्रकरण प्रस्तुत। 2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत लगाता कई पेशियों से उपस्थित नहीं है। 3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा–35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। 4. आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड वापस किया जाये, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। सदस्य	